## न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी –सह– अंचल अधिकारी, कसमार

आदेश	14 - फारम सं0 562 । आदेश - पत्रक (देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129) पत्रक / ता0से	
केस क आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	प्रकार जी पत्र वाद (बेंडे होटण हैंट) आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	2	
	प्रबंधक के अपने विद्वान अधिवक्ता के द्वास देनदार स्नर्न प्राट्नाद महिता प्राप्ता मिलकु महिता अधिवक्ता के द्वास देनदार स्नर्न प्राट्नाद महिता प्राप्ता मिलकु महिता अधिवक्ता के द्वास देनदार स्नर्न प्राट्नाद महिता प्राप्ता मिलकु महिता अधिवक्ता के विरुद्ध बकाया राशि किया पत्र दाखिल किया गया है। साथ ही "कार्ट फी" रूपये अपने का वसूली होतु अधियाचना पत्र दाखिल किया गया है। अधियाचना पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार के विरुद्ध बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 4 वर्ष 1914 की धारा 7 के तहत नोटिस निर्गत करें।	
	नोटिस तामिला हेतु अधियाची पदाधिकारी को भेजें। अभिलेख दिनांक को उपस्थापित करें।  री नीलाम पत्र पदाधिकारी, -सह-	
	— <b>सह</b> —	